# फर्द अहकाम

सत्यनारायण　　　बनाम　　　राज्य लोक सूचना अधिकारी, (उपखण्ड अधिकारी) चाकसू

आर.टी.आई. अपील सं0 02/2019

| दिनांक आज्ञा या कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| 15-5-19 | पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। राज्य लोक सूचना अधिकारी- उपखण्ड अधिकारी, चाकसू की रिपोर्ट क्रमांक राजस्व/19/2484 दि0 13-5-19 प्राप्त। शामिल मिसल हुई। अपीलार्थी को सुना गया व रिपोर्ट दिनांक 13-5-19 का अवलोकन किया गया। रिपोर्ट दि0 13-5-2019 के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा उनके प्रार्थना पत्र दि0 6-4-18 पर क्या कार्यवाही की गई, के प्रत्युत्तर में जारी पत्र क्रमांक PA/2018/2064 दि0 12-4-18 अपीलार्थी-प्रार्थी को सूचना [illegible] प्रेषित किया है, जिसकी प्रति भी संलग्न की है और प्रार्थना पत्र दि0 22-6-2018 के सम्बन्ध में सूचित किया है कि दिनांक 23-7-2014 के प्रार्थना-पत्र पर प्रवर्तन अधिकारी, रसद विभाग-चाकसू द्वारा जांच प्रस्तुत नहीं करने व प्रवर्तन अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही नहीं करने के बारे में सूचना चाही गई है जिस पर कोई कार्यवाही नहीं होना पाया गया है। राज्य लोक सूचना अधिकारी- उपखण्ड अधिकारी, चाकसू की रिपोर्ट से जाहिर होता है कि अपीलार्थी-प्रार्थी को अपूर्ण सूचना दी गई है परन्तु अपीलीय कार्यालय को प्राप्त सूचना अपीलार्थी-प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना पूर्ण प्रतीत होती है अतः प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 13-5-19 की प्रति व संलग्न प्राप्त फोटो प्रति पत्र दिनांक 12-4-2018 की प्रति अपीलार्थी को इस स्तर पर निःशुल्क दिये जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति मय वांछित सूचना अपीलार्थी को दी जावे।<br><br>निर्णय आज दिनांक 15-05-19 को खुले इजलास सुनाया गया।<br><br>[signature]<br>अति. कलेक्टर (द्वितीय)<br>जयपुर | प्रेषित<br>1275-76<br>20-5-19 |

Scanned by CamScanner